मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस दस्तावेज़ की अपील दायर कर रहा हूं? प्रत्येक दस्तावेज़ का एक पहचान नाम और / या संख्या होती है। दस्तावेज़ की पहचान कराने वाली जानकारी आमतौर पर दस्तावेज़ के ऊपरी या निचले भाग में स्थित होती है। नॉर्थ कैरोलाइना डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स, बोर्ड ऑफ रिव्यू ("बोर्ड") द्वारा जारी उच्च प्राधिकरण निर्णय के लिए डॉकेट संख्या, निर्णय के पहले पृष्ठ पर शीर्ष दाईं ओर स्थित होती है।

अगर मैं उच्च प्राधिकरण निर्णय से असहमत हूं, तो क्या मैं इस मामले को अदालत में ले जा सकता हूं?

हाँ। आप मांग कर सकते हैं कि एक उच्चतर न्यायालय के न्यायाधीश उच्च प्राधिकरण निर्णय और मामले के अभिलेखों की समीक्षा करें। उच्चतर न्यायालय द्वारा समीक्षा के अनुरोध को न्यायिक समीक्षा के लिए एक याचिका कहा जाता है। आपको एक न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई में भाग लेने का मौका मिलेगा। यदि आप अपनी याचिका को ठीक तरह से दायर और तामील नहीं कराते हैं, तो डिवीजन याचिका को खारिज करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, और न्यायाधीश प्रस्ताव पर बहस की सुनवाई करेंगे। यदि आपकी याचिका उचित तरीके से दायर और तामील कराई जाती है, और सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो न्यायाधीश आपकी याचिका, बोर्ड के सामने आए साक्ष्यों और बोर्ड के निर्णय की समीक्षा करेगा। न्यायाधीश निम्न विन्दुओं पर ध्यान देंगे (1) क्या इस तथ्य के निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए बोर्ड के सामने आए अभिलेखों में कोई सक्षम प्रमाण था, और (2) क्या ये तथ्य कानून के निष्कर्षों और उच्च प्राधिकरण निर्णय की पुष्टि करते हैं। एन.सी. जनरल स्टेट §§ 96-15 (h) और (i) देखें।

अदालत में अपील दायर करने के लिए मेरे पास कितना समय होता है? उच्चतर न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के लिए उच्चतर न्यायालय में एक याचिका दायर करने के लिए आपके पास उच्च प्राधिकरण निर्णय जारी किए जाने की तारीख से तीस (30) दिनों तक का समय होता है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायिक समीक्षा के लिए उच्चतर न्यायालय में एक याचिका दायर नहीं की जाती है तो निर्णय अंतिम हो जाएगा। वह तारीख जब उच्च प्राधिकरण निर्णय जारी किया गया था, उस निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर अंकित होती है। एन.सी. जनरल स्टेट §§ 96-15 (h) और (i) देखें।

मैं अदालत में अपील कैसे दायर करूं?

आपको एक उच्च प्राधिकरण निर्णय पर अपील उस काउंटी में स्थित उच्चतर न्यायालय के क्लर्क के पास दायर करनी चाहिए जिसमें आप रहते हैं, या जिसमें आपके व्यवसाय का प्रमुख कार्यालय स्थित है। यदि आप किसी नार्थ कैरोलाइना काउंटी में नहीं रहते हैं या आपके व्यवसाय का प्रधान कार्यालय नहीं स्थित है, तो आपको न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका वेक काउंटी, नार्थ कैरोलाइना के उच्च न्यायालय में या नार्थ कैरोलाइना काउंटी के उस उच्चतर न्यायालय के क्लर्क के पास दायर करनी होगी जहाँ वह विवाद पैदा हुआ है। एन.सी. जनरल स्टेट § 96-15 (h) देखें।

क्या न्यायिक समीक्षा के लिए एक याचिका दायर करने के लिए मुझे कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करना आवश्यक है?

शायद। दावेदार आमतौर पर उच्चतर न्यायालय की कार्यवाहीयों में स्वयं ही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। निगमों का अदालत में प्रतिनिधित्व एक लाइसेंस प्राप्त वकील द्वारा किया जाना चाहिए। उच्चतर न्यायालय में, न्यायिक कार्यवाही में प्रतिनिधित्व को, नार्थ कैरोलाइना सामान्य संहिताओं के अध्याय 84 और नार्थ कैरोलाइना राज्य बार नियमों का पालन करना चाहिए। आपको कानूनी सलाह के लिए एक वकील से परामर्श करना चाहिए।

मुझे एक वकील कहां मिल सकता है?

आप नार्थ कैरोलाइना बार एसोसिएशन की वकील रेफरल सेवा को (800) 662-7660 पर, नार्थ कैरोलाइना की कानूनी सहायता को (866) 219-5262 पर काल कर सकते हैं, या अपनी स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका में खोज सकते हैं।

न्यायिक समीक्षा की अपनी याचिका में मुझे क्या कहना चाहिए?

बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी आपको नहीं बता सकती कि न्यायिक समीक्षा के लिए आपकी याचिका में आपको क्या कहना है। आप कानूनी सलाह के लिए एक वकील से परामर्श कर सकते हैं। कानूनी रूप से यह आवश्यक है कि समीक्षा के लिए याचिका में बोर्ड के फैसले या प्रक्रिया के विषय में आपके द्वारा उठाई गई आपत्ति और अदालत से आप जो राहत चाहते है उसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया हो। एन.सी. जनरल स्टेट §96-15 (h) देखें।

क्या मुझे न्यायिक समीक्षा के लिए अपनी याचिका की एक प्रति उच्चतर न्यायालय के क्लर्क के अलावा किसी अन्य को भी प्रदान करना है?

हाँ। न्यायिक समीक्षा के लिए आपकी याचिका दायर करने के दस (10) दिनों के भीतर, आपको एक प्रति, या तो व्यक्तिगत रूप से या प्राप्ति की रसीद वापस भेजने के अनुरोध के साथ, पंजीकृत डाक द्वारा, उच्चतर प्राधिकरण निर्णय में सूचीबद्ध प्रक्रिया की सेवा के लिए रोजगार सुरक्षा डिविजन के पंजीकृत एजेंट को तामील करानी चाहिए। एन.सी. जनरल स्टेट §1A-1, नियम 4(j)(4) देखें। आपको याचिका दायर करने के दस (10) दिनों के अंदर याचिका की एक प्रति या तो व्यक्तिगत रूप से या प्राप्ति की रसीद वापस भेजने के अनुरोध के साथ, पंजीकृत डाक द्वारा, बोर्ड और डिविजन के समक्ष कार्यवाही में सभी पक्षकारों (आमतौर पर दावेदार अगर आप नियोक्ता हैं, या नियोक्ता अगर आप दावेदार हैं) को भी तामील करानी चाहिए। एन.सी. जनरल स्टेट § 96-15 (h) देखें।

जब तक सभी अपीलों पर निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक क्या मुझे लाभों के दावे दायर करना जारी रखना चाहिए?

हाँ। यदि आप बेरोजगार हैं, तो आपको अपने साप्ताहिक प्रमाणीकरण को दायर करना तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि सभी अपीलों पर निर्णय नहीं हो जाता है। जिन हफ्तों का दावा दायर नहीं किया गया होगा उनके लाभ का भुगतान नहीं होगा। एन.सी. जनरल स्टेट §§96-14.9 और 96-15(b)(2) देखें।

रोजगार सुरक्षा कानून की एक प्रति मैं कहां से प्राप्त कर सकता हूं?

रोजगार सुरक्षा कानून नॉर्थ कैरोलाइना सामान्य विधान के अध्याय 96 में पढ़ सकते हैं। डीईएस के प्रशासनिक नियमों को नार्थ कैरोलाइना प्रशासनिक संहिता के अध्याय 24, शीर्षक 4 में देखा जा सकता है। आप नियामक कानून की एक प्रति डीईएस की वेबसाइट www.des.nc.gov पर, प्रशासनिक सुनवाई कार्यालय की वेबसाइट www.oah.state.nc.us/rules पर, या http://reports.oah.state.nc.us/ncac.asp पर भी देख सकते हैं।

<u>दावेदारों के लिए विशेष सूचना:</u>

यदि आप अंतर्निहित दावे के संबंध में पहले से ही बेरोजगारी बीमा लाभ प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त किए थे और उच्च प्राधिकरण निर्णय नियम आप को ऐसे लाभों के सभी या किसी भाग के लिए अयोग्य या अपात्र बना देता है, तो अब आपको एन. सी. जनरल स्टेट § 96-18 (g) (2) के अनुसार लाभों का अतिदेय भुगतान हो सकता है। अगर अतिदेय भुगतान एक उच्च प्राधिकरण निर्णय द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो आपको डिविजन के लाभ अखंडता/ लाभ भुगतान नियंत्रण अनुभाग द्वारा अतिदेय भुगतान या अतिदेय भुगतान निर्धारण का एक अलग नोटिस भेजा जाएगा। अतिदेय भुगतान या अतिदेय भुगतान निर्धारण की नोटिस में अन्य बातों के अलावा आपकी अतिदेय राशि और लागू होने वाले किसी दंड का भी उल्लेख होगा। कृपया ध्यान दें कि अतिदेय भुगतान प्राप्ति का दावा करने का एकमात्र तरीका उच्च प्राधिकरण निर्णय में उल्लिखित उच्चतर न्यायालय में और नार्थ कैरोलाइना के कानून के अनुसार उच्च प्राधिकरण निर्णय की अपील दायर करना है। एन.सी. जनरल स्टेट §§ 96-15 (h) और (i) देखें।

नार्थ कैरोलाइना में बेरोजगारी बीमा कार्यक्रम नॉर्थ कैरोलाइना डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स, डिविज़न ऑफ़ एम्पलॉयमेंट सिक्योरिटी (DES) - http://www.xxx.nc.gov द्वारा परशासित है।

नॉर्थ कैरोलाइना डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स द्वारा

NCBOR 572-E (Rev. 6/2017)

प्रक्रिया के संचालन के लिए रोजगार सुरक्षा विभाग के पंजीकत एजेंट

आर. ग्लेन पीटरसन
चीफ काउंसल
नॉर्थ कैरोलाइना डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स
डिविज़न ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी
डाक पता:
पोस्ट ऑफ़िस बॉक्स 25903
रेले, एनसी 27611-5903

स्थानीय पता:
700 वेज एवेन्यु
रेले, एनसी 27605-1154

अपील के स्तर - दावे

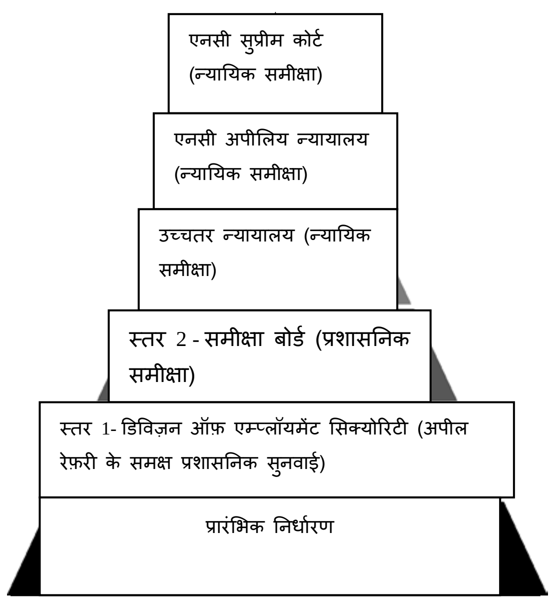

न्यायिक समीक्षा

उच्च प्राधिकरण निर्णय की उच्तर न्यायालय में अपील दायर करना

इस पुस्तिका में रोजगार सुरक्षा कानून के तहत आपके अधिकारों के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी शामिल की गई है। यह नॉर्थ कैरोलाइना डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स समीक्षा बोर्ड का उच्च प्राधिकरण निर्णय प्राप्त करने के बाद उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर करने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है।

आपको कानून द्वारा निर्धारित सभी औपचारिकताओं का पालन करना होगा।

30 जून, 2013 को या उसके बाद दायर दावों के लिए, दावेदार कोई भी निर्णय जो कि अपील होने पर बाद में उलट जाता है, उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न लाभों के अतिदेय भुगतान के भुगतान वापसी के तहत हैं। एन.सी. जनरल स्टेट § 96-18 (g) (2)।

अपीलों के बारे में और अधिक "अक्सर पूछे जाने वाले परशन" (FAQs) देखने के लिए, डीईएस की वेबसाइट www.xxx.nc.gov पर जाएं।